Phases of Canal Based Drinking Water Project in Jind

***1144. Dr. Krishan Lal Middha, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the phases of canal based drinking water project which have been completed in Jind City as per the announcement made by the Hon'ble Chief Minister togetherwith the time by which the said project is likely to be completed?

SHRI MANOHAR LAL,
HON'BLE CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

A statement is placed on the table of the House.

Statement referred to in reply to the Starred Assembly Question No. 1144.

There is such a project in pursuance of CM Announcement No. 24490 dated 21.10.2018. When no suitable piece of land measuring 130 acres for construction of water works could be made available by the Municipal Committee, Jind, the Gram Panchayats of adjoining villages and other government departments, it was decided to construct two water works, one each on opposite side of the Jind Town. A demand was uploaded on E-Bhoomi portal on 17.05.2019 for one of these. It has resulted in reduction of offered rates from Rs. 63-73 lakh per acre to Rs. 49.50 lakh per acre for 93 acres of land of village Kinana after three rounds of negotiation. Further, for construction of another water works for Jind Town 55-60 acres of land is to be required for which permission was given by Government through E-Bhoomi Portal on 05.08.2019 for land of villages Ahirka, Khokhri, Shahpur, Jhanj Kalan and Jhanj Khurd. Accordingly, a demand of 60 acre land for construction of canal based water works for Jind Town was uploaded on E-bhoomi portal on 11.09.2019 for second canal based water works for Jind Town. Thereafter, on request of Hon'ble MLA, Jind, a proposal for establishment of canal based water supply scheme for Jind City was framed from BML-Barwala Link for which sanction of raw water of 30 cusec also accorded. For this proposal, land measuring 45 acres was uploaded on e-bhoomi portal from village Barodi and Jhanj Kalan. Out of 219.7752 acres land uploaded, 49.9814 acres land found feasible. However, demanded / negotiated rates are more than 20% of collector rates. Accordingly, it was decided to explore the other piece of land adjoining the estates for which process has already been initiated. After arrangement of land, Detailed Project Report will be prepared and technically cleared/ administratively approved from competent authority and thereafter it will take three years for construction of canal based water works.

जींद में नहर आधारित पीने के पानी की परियोजना के चरण

***1144.** **डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा, एम. एल. ए. :–** क्या मुख्यमन्त्री कृपया बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जींद शहर पीने के पानी की परियोजना के पूरे किए गए चरणों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

श्री मनोहर लाल,
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है।

विवरण तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 1144 के उत्तर में संदर्भित है।

इस तरह की एक परियोजना मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक न0 24490 दिनांक 21.10.2018 की अनुपालना है। जब नगर पालिका जीन्द व जीन्द शहर के साथ लगने वाली ग्राम पंचायतों तथा अन्य विभागों से लगभग 130 एकड भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी, तब यह निर्णय हुआ कि दो जलघरों का निर्माण जीन्द शहर की विपरीत दिशाओं में किया जाएगा। इनमें से एक जलघर के लिए 17.05.2019 को ई–भूमि पोर्टल पर एक मांग अपलोड की गई थी। तीसरे चरण की वार्तालाप के पश्चात यह परिणाम हुआ कि ग्राम किनाना की 93 एकड़ भूमि 63.73 लाख प्रति एकड़ की प्रस्तावित दर से घटकर 49.50 लाख रुपये प्रति एकड़ हो गई। इसके अतिरिक्त जीन्द शहर में नहर आधारित जलघर के निर्माण के लिए गाँव अहीरका, खोखरी, शाहपुर, झाँज कलां, और झाँज खुर्द में 55–60 एकड भूमि की मॉग 05.08. 2019 को ई–भूमि पोर्टल पर डालने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई। तदानुसार, दूसरे नहर आधारित जलघर के निर्माण के लिए 60 एकड भूमि की मॉगं 11.09.2019 को ई–भूमि पोर्टल पर डाला गया। तत्पश्चात माननीय विधायक जीन्द के अनुरोध पर, जीन्द शहर में नहर आधारित पेयजल परियोजना की स्थापना हेतु एक प्रस्तावना बीएमएल – बरवाला लिंक से बनाई गई व जिसके लिए 30 क्यूसेक कच्चा पानी की स्वीकृत भी हो गई है। इस प्रस्ताव के लिए, गांव बड़ौदी एवं झांज कलां से 45 एकड़ भूमि को ई–भूमि पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अपलोड की गई 219.7752 एकड़ भूमि में से, 49.9814 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई। किन्तु मांग/बातचीत दरें कलेक्टर दरों से 20% से अधिक है। तदानुसार यह निर्णय लिया गया कि सम्पदा से सटे भूमि के अन्य टुकडे का पता लगाया जाए, जिसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरु की जा चुकी है। भूमि उपलब्ध होने के बाद, विस्तृत प्रस्तावना रिपोर्ट तैयार की जायेगी, इसका तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम अधिकारी से लिया जायेगा तथा उसके बाद, नहर आधारित जलघर के निर्माण मे तीन साल लगेगें।